By E-Mail

कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : अ.मु.अ.तृतीय/2017–18/153 दिनांक : 7.7.2017

आदेश

विषय :– RERA अधिनियम व नियम के अन्तर्गत मण्डल में चल रही परियोजनाओं के पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क जमा करवाने के संबध में।

संदर्भ :– आवासन आयुक्त का आदेश क्रमांक अ.मु.अ.तृतीय/2017–18/115 दिनांक 21.06.2017 एवं अ.मु.अ.तृतीय/2017–18/150 दिनांक 06.07.2017

THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT 2016 (RERA) & RAJASTHAN GOVERNEMENT RULES 2017 के तहत मण्डल की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का पंजीयन RERA Rules 4(5) में दिये गये Excludes (i) से (vii) के अनुसार चिन्हित कर पंजीयन योग्य परियोजनाओं की पंजीयन की कार्यवाही खण्ड स्तर से 31.07.2017 से पूर्व करवायी जानी है।

पंजीयन हेतु खण्ड को पंजीयन शुल्क के रूप में राशि जमा करानी होगी जिसके संबध में निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं बजट आवंटन के पूर्वानुमान में परियोजना की पंजीयन की फीस राशि जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पंजीयन एक्ट के अनुसार वांछित राशि जमा कराकर खण्ड की समस्त परियोजनाऐं जिनका पंजीकरण करवाया गया है, हेतु एकजाई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव तत्काल कार्योत्तर स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। भुगतान प्रकोष्ठ को निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन की फीस हेतु राशि की मांग निर्धारित माध्यम से अग्रेषित होने पर मांग राशि तत्काल जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव– अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव– आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि उपरोक्त अनुसार खण्ड कार्यालय को मांग राशि अविलम्ब जारी करें।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....
7. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड.........................
8. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबधितों के ई–मेल पर उक्त पत्र प्रेषित करावें एवं मण्डल की वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों में अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली

मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर